NEW DELHI MUNICIPAL COUNCIL

- **Online building plan approval system comes into existence from TOMORROW in New Delhi area**

New Delhi – May 15, 2016

As a part of government policy to create an economic environment which mandate ease of doing business and with the aim to make the building construction permit system transparent, simple, fair, non-discriminatory and removal of multiplicity of authority, the New Delhi Municipal Council (NDMC) has launched the Online Building Plan Approval and Management System (OBPAMS) in New Delhi area and it will come into existence with effect from TOMORROW June 16, 2016 onward. Henceforth, no manual proposal in this regard will be accepted in future by NDMC.

This Online Building Plan Approval and Management System will be effective one in approving Building Plan quickly in a time bound hassle free manner in the single window system with removal of multiplicity` of authorities.

Existing system included manual interface for scrutiny of plans, fee calculations, site inspection etc. which was time consuming exercise, while OBPAMS will provide an efficient and transparent single window system. It will facilitate the applicants by common application form, online submission, online fee calculation and payment, system generated date of site inspection, online linkage with external agencies, SMS / Email alert at each stage and Online Building Plan Approval and Rejection.

Citizens would not be required to visit any office, online tracking of application status, no manual scrutiny, elimination of physical interface with any officials and faster with convenient and transparent process.

For the convenience of the citizens of New Delhi area NDMC has setup a Facilitation Centre at Room No.1208, 12th Floor, Palika Kendra, Sansad Marg, New Delhi for assistance and disseminating the information with regard to OBPAMS. For any clarification and suggestion one can contact the Asstt.Engineer /Nodal Officer (OBPAMS) at Mobile No.9818332240 and Email ID – nodalofficer.arch@ndmc.gov.in

---o---

Shehrawat

नई दिल्ली नगरपालिका परिषद्

- *नई दिल्ली क्षेत्र के लिए 16 मई से भवन नक्शों का अनुमोदन ऑनलाइन होगा*

नई दिल्ली – 15 मई, 2016

नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् ने नई दिल्ली क्षेत्र के निवासियों के लिए भवन नक्शों केअनुमोदन एवं प्रबंधन के लिए ऑनलाइन सेवा स्थापित की है । यह ऑनलाइन सेवा 16 मई, 2016 से लागू होगी, उसके बाद पालिका परिषद् में किसी भी स्थिति में भवन नक्शों कें अनुमोदनका कागज पर कोई प्रस्ताव नहीं लिया जायेगा ।

यह ऑनलाइन सेवा सरकार की उसी नीति का एक भाग है जिसके अन्तर्गत कारोबार करने के लिए एक सुगमऔर सरल वातावरण का निर्माण किया जाये, जो भवन निर्माण की स्वीकृति की प्रणाली को पारदर्शी,सरल, निष्पक्ष, स्वच्छ, न्यायोचित होने के साथ ही बहुत सारे अनुमोदन प्राधिकरणों को भी हटासके ।

अब लागू किये गये भवन नक्शों के अनुमोदन की ऑनलाइन प्रबंधन प्रणाली तीव्रता और समयबद्धतरीके से निर्बाध कार्य करेगी और यह एकल-खिडकी' प्रणाली होगी, जिसमें विभिन्न अनुमोदनप्राधिकरणों का कोई कार्य शेष नहीं होगा ।

नक्शों की छंटाई मे व्यक्तिगत विचार-विनियम, शुल्क की गणना, स्थान-निरीक्षण इत्यादि जैसीकठिनाई और समय की खपत वाली प्रक्रियायों से यह नवीनतम ऑनलाइन प्रणाली मुक्त होगी, जो एकपारदर्शी 'एकल-खिडकी' सुविधा के रूप में अब कार्य करेगी । यह ऑनलाइन सेवा आवेदकों को एकसामान्य आवेदन-पत्र, उसको ऑनलाइन भरने, शुल्क की गणना और भुगतान की ऑनलाइनव्यवस्था, स्थान-निरीक्षण की तिथि का स्वंय निर्धारण, बाहरी एजेंसियों का ऑनलाइन लिंक,आवेदन के हर स्तर की जानकारी देने के लिए एसएमएस / ईमेल अलर्ट के सुविधा के साथ ऑनलाइन हीअनुमोदन और रददीकरण जैसी सुविधाएँ एक ही पटल पर उपलब्ध कराएगी ।

नागरिकों को अब व्यक्तिगत रूप में दफतरों के चक्कर नही लगाने पडेगें, अब उन्हें अपने आवेदनके प्रत्येक स्तर की स्थिति की जानकारी ऑनलाइन ही मिल जायेगी, जो सम्पूर्ण प्रक्रिया को तीव्रताऔर पारर्शिता प्रदान करते हुए कार्य करेगी ।

नई दिल्ली नगरपालिका परिषद्
ने अपने मुख्यालय में 12वीं मंजिल, पालिका केन्द्र, संसद मार्ग में एकसुविधा केन्द्र की स्थापना की है, जो इस विषय में सभी प्रकार की सुविधा और सूचना उपलब्धकरायेगा ।
इस संबंध में किसी भी प्रकार के स्पष्टीकरण और सुझाव के लिए कोई भी नागरिक सहायकअभियन्ता / नोडल अधिकारी (ओबीपीएएमएस)
से मोबाइल नम्बर - 9818332240 और ईमेलआईडी - nodalofficer.arch@ndmc.gov.in पर सम्पर्क कर सकता है ।

---o---

शहरावत